फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 08.12.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 323/24 धारा-420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री एश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 323/2024 धारा- 420 भादवि व 66 D IT Act से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त रोहन पाल उर्फ पाल रोहन प्रदीप पुत्र प्रदीप पाल निवासी 1/67 बजरिया अलीगंज कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को दिनांक 08.12.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रोहन पाल उर्फ पाल रोहन प्रदीप पुत्र प्रदीप पाल निवासी 1/67 बजरिया अलीगंज कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 27.05.2024 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ धोखाधडी कर उसके दो अलग अलग बैंक आईडीबीआई बैंक शाखा ठण्डी सड़क थाना कादरीगेट तथा केनरा बैंक शाखा आवास विकास थाना कादरीगेट में दूसरे के नाम से खाता खुलवाकर कर और दोनो खातों में अपना मोबाइल नम्बर लिखवा कर खातो से क्रमशः 3761064 रुपये व 2338663.84 रुपये का लेन देन करने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 323/2024 धारा 420 भादवि व 66 D IT Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि करीब 6 माह पूर्व फेसबुक व इंटाग्राम के माध्यम से कुछ विदेशी कम्पनियों से मेरी बात-चीत हुई, जिनके द्वारा मुझे बताया गया कि कम्पनी के द्वारा ऑनलाइन सट्टा कराया जाता है आपको हमें खाता नंबर उपलब्ध कराना होगा। उसी खाते में सट्टे के पैसो का लेनदेन होगा । जिसके नाम का खाता होगा उसको प्रति खाता 30 हजार रुपये तथा मझे लाभ का 02 प्रतिशत कम्पनी की तरफ से दिया जायेगा । चूंकि अभिषेक सिंह मेरे दोस्त है इसलिये मैने उनसे भी खाता खुलवाने के लिये व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिये कहा था । अभिषेक द्वारा ही श्रेयांश पाठक से मेरी मुलाकात करायी गयी थी । श्रेयांश पाठक ने दो खाता एक आईडीबीआई बैंक शाखा ठंडी सडक फर्रुखाबाद में तथा दूसरा कैनरा बैंक शाखा आवास विकास फर्रुखाबाद में अपने नाम से खुलवाया दोनो खाता में मेरा मोबाइल नंबर लगा था । यह नम्बर भी मेरे नाम का नहीं था। मैं जिनसे खाता खुलवाता हूँ उन्ही से सिम नम्बर लेकर किसी अन्य खाते में इस्तेमाल करता हूँ । इसके बाद श्रेयांश पाठक को कम्पनी द्वारा प्राप्त कराये गये दोनो खातो का 60 हजार रुपया मेंनें दे दिया था । दोनो खातो में सट्टे के पैसे का लेनदेन होने लगा जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता था, तो कम्पनियो द्वारा खाते में दिये गये नम्बर जो मैंने बैंक में उपलब्ध कराया था, पर ओटीपी भेजा जाता था, ओटीपी मैं कम्पनी को बता देता था । जिससे पैसा उक्त कम्पनियों के खातों में यू0पी0आई0 के माध्यम से चला जाता था । कम्पनी कहाँ की है व कौन संचालित करता है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मुझे केवल अपने 02 प्रतिशत से मतलब था। मैं अपना 2 प्रतिशत कस्टमर द्वारा खुलवाये गये खाते में ही मंगा लेता था व एटीएम मेरे पास ही रहता था जिससे मैं निकाल लेता था । फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी बातें होती थी । इस काम में मेरे अण्डर में कुछ और भी लडके जुडें है, जो खाता खोलने के लिये व्यक्ति ढूंढते थे और खाता खुलवा देते थे, हर खाते में मोबाइल नंबर मैं, जो किसी अन्य के नाम से होता था। जिससे ओटीपी के माध्यम से पैसा कम्पनिया ले लेती थी

अभियुक्त रोहन पाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0- 323/2024 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कादरीगेट

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस :-

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. निरीक्षक श्री संजय कुमार राय
3. का0 रिंकू चाहर
4. का0 पंकज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –थाना कमालगंज

दिनांक :- 08-12-2024

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 257/2024 धारा 76 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर **श्री रवीन्द्रनाथ राय** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 - 257/2024 धारा 76 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त चैया उर्फ बृजनन्दन पुत्र नैपाल निवासीगण ग्राम नगला पन्ना थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. चैया उर्फ बृजनन्दन पुत्र नैपाल निवासीगण ग्राम नगला पन्ना थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 30.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी की पौत्री के साथ दुष्कर्म करने की नियत से छेडछाड करने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0- 257/24 धारा- 76 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. मुनीम पुत्र राजेन्द्र 2. चैया पुत्र नेपाल निवासीगण ग्राम नगला पन्ना थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । जिसके सम्बन्ध मे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चैया उर्फ बृजनन्दन पुत्र नैपाल निवासी ग्राम नगला पन्ना थाना कमालगंज को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त चैया उर्फ बृजनन्दन का आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 257/2024 धारा 76 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्त चैया उर्फ बृजनन्दन पुत्र श्री नैपाल सिंह ने अपना बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

बरामदगी का विवरण :-

1. निल

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम :-

1. म0उ0नि0 नीरज त्यागी
2. हे0का0 संजय कुमार
3. म0हे0का0 ऊषा देवी
4. का0 अखिलेश जादौन

मीडिया सेल फतेहगढ़।

अथर्व